

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-27/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती चन्द्रकला राठौर, नर्स-2, (परिवीक्षाधीन) खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कापरेन, बून्दी का उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	24.09.2016	05.10.2016	12	असाधारण अवकाश
2	02.12.2016	04.12.2016	03	
3	02.04.2017	16.04.2017	15	
योग			30	

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 6-8-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-27/2018/1090

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कापरेन, बून्दी।
3. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर